सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1)(ख) के अन्तर्गत आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचनाओं का विवरण

(1) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य :–

1.1 विशिष्टियाँ :

आबकारी विभाग प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। अर्जित राजस्व एवं कर संग्रह पर लागत के दृष्टिकोण से विभाग पर होने वाला व्यय अर्जित राजस्व का लगभग 1 प्रतिशत है। मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण ही आबकारी विभाग के मूल उद्‌देश्य हैं।

1.2 कृत्य और कर्तव्य :

आबकारी विभाग के मुख्य कृत्य और कर्तव्य निम्नवत् है :–

(1) मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण

(2) उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व अर्जित करना।

(3) अवैध एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थो की बिक्री/उपभोग को हतोत्साहित करना तथा स्वच्छ एवं मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(4) प्रदेश में पूँजी निवेश व औद्योगिक विकास के दृष्टिगत शीरा एवं अल्कोहल आधारित उद्योगों के विकास/स्थापना को बढ़ावा देना।

(5) मादक पदार्थो से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम एवं उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

(6) मादक पदार्थो / अल्कोहल / स्पापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थो से संबंधित अनुज्ञापनों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण।

1.3 कार्य क्षेत्र एवं संबंधित अधिनियम / नियमावलियॉ

आबकारी विभाग निम्नवत् अधिनियमों एवं तत्संबंधी नियमावलियों के अधीन कार्यो का सम्पादन करता है :––

कमांक	कार्यक्षेत्र		सुसंगत अधिनियम व नियम
1.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भॉग तथा अन्य पदार्थ जो मादक घोषित हों।	:	संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनिय, 1910 एवं तत्सम्बन्धी नियमावलियां
2.(अ)	अफीम का कय–विकय एवं उसका दवाओं के लिए उपयोग	:	स्पापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
(ब)	नारकोटिक पदार्थो एवं नियंत्रण	:	उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली 1986
(स)	अफीम, चरस एवं गांजा का मादक पदार्थ के रूप में निषेध	:	यथा उपरोक्त।
3.	चीनी, मिलों में उत्पादित शीरे का संग्रहण, श्रेणीकरण, संभरण व वितरण	:	उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली

क्रमांक	कार्यक्षेत्र		सुसंगत अधिनियम व नियम
4.	अल्कोहल एवं नारकोटिक युक्त औषधियों का उत्पादन, कर वसूली आदि	:	मेडिसिनल एण्ड ट्वायलेट प्रियरेशंस (एक्साइज ड्यूटीज़) अधिनियम 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
5.	अल्कोहल का विक्रय	:	यू0पी0 सेल्स ऑफ मोटर स्प्रिट, डीजल एण्ड अल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
6.	अल्कोहल युक्त औषधियों का अन्तर्राज्यीय व्यापार	:	स्पिरिचुअस प्रिपरेशंस (इण्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल ऐक्ट, 1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली।
7.	मिथाइल अल्कोहल नामक घातक विष को कब्जे में रखने व उसके क्रय पर नियंत्रण व इससे विषाक्त मदिरा काण्डों की रोकथाम	:	विष अधिनियम, 1919 तथा उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन ऑफ पेजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994
8.	सूचना अधिकार सम्बन्धी कार्यवाहियॉ	:	सूचना अधिकार अधिनियम–2005 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश / आदेश